

प्रेस विज्ञप्ति

‘7.72% GS 2025’ का पुनर्भुगतान- प्रेस विज्ञप्ति का निर्गम

‘7.72% GS 2025’ के पुनर्भुगतान के अंतर्गत शेष बकाया **23 मई 2025 (24 और 25 मई, 2025 को क्रमशः गैर-कार्य शनिवार और रविवार होने के कारण)** के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा **पुनर्भुगतान** दिवस पर छुट्टी घोषित होने की स्थिति में, ऋण का भुगतान उस राज्य में भुगतान कार्यालयों द्वारा **पिछले कार्य दिवस** पर किया जाएगा।

2. क) सरकारी प्रतिभूति विनिमय 2007 के उप-विनिमय 24(2) और 24(3) के अनुसार सहायक सामान्य खाता बही अथवा ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उनके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें।

ख) तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण / इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ (जहां वे ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) में विधिवत उन्मुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।

3. उन्मुचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का सम्पूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग, नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली - 110001
दिनांक: **02 मई, 2025**